Indian Institute of Management Lucknow
Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow-226 013 (U.P.) India

भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई आई एम रोड, लखनऊ–226 013 (उ.प्र.) भारत

दिनांक:26.11.2020

मैसर्स..

....

....

विषयः आम के बाग केफसल की नीलामी (वर्ष:2020-21) के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ परिसर में स्थित आम के बागों इत्यादि की फसल बेंचने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस क्रम में,संस्थान के नियम व शर्तें नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति या फर्म के लिए मान्य होंगी।

इस नीलामी में बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म उपरोक्त फसल नीलामी हेतु अपनी बोली को लिखकर सीलबन्द लिफाफे में रखकर दिनांक 14.12.2020 तक भारतीय प्रबन्ध संस्थान के मुख्य द्वार पर रखें टेंडर बाक्स में डाल दें। सील बन्द लिफाफे के ऊपर निम्न पता लिखें:

"(बाग की नीलामी का टेंडर के संबंध में)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारतीय प्रबन्ध संस्थानलखनऊ"

नोटः सील बन्द टेंडर दिनांकः 15/12/2020 को सांय 3 बजे समाधान के समिति कक्ष में खोले जाएंगें।

मुख्य तीन शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. नीलामी में भाग लेने वाले का रू 15,000/- (रुपया पन्द्रह हजार मात्र)डिमांड ड्राफ्ट जो कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ के पक्ष में अग्रिम धनराशि के रूप में टेंडर के साथ संलग्न कर देना होगा, जो कि टेण्डर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वापस की जायेगी ।

ड्राफ्ट का पूरा विवरण

बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	मूल्य

Tel : (+91-522) 2734101, 2734111-20, Tata Indicom : (0522) 6696001 (30 Lines), Fax : (+91-0522) 2734025

NOIDA Campus : B-1 Institutional Area, Sector 62, Noida-201307 (U.P.) India

www.iiml.ac.in

2. संस्थान को 30 कुन्तल (तीस कुन्तल अच्छे आम जैसे-चैसा,आम्रपाली,दशहरी) जून माह के तक देना होगा।
3. संस्थान द्वारा फसल की न्यूनतम कीमत 1,00000/. (एक लाख मात्र) रखी गई है तथा यहनीलामीएक वर्ष के आम के फसल हेतु होगी।

सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. आम के पेड़ के समीप शीशम, शागौन तथा अन्य कीमती पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी।
2. बागों में पानी देने के लिए पाइप आदि का इन्तजाम ठेकेदार को स्वंय अपने व्यय पर करना होगा । संस्थान आपकों केवल पानी मुहैया करायेगा।
3. टेण्डर फार्म में उल्लेखित धनराशि को डिमांड ड्राप्ट के साथ में सलंग्न करें।
4. निविदा प्रपत्र खुलने के बाद असफल व्यक्तियों को ई.एम.डी व निर्धारित धनराशि की डी.डी वापस कर दी जायेगी।
5. बाग में मौजूद किसी भी वृक्ष की लकड़ी न तो काटी जायेगी और न ही अन्य प्रकार की क्षति पहुचाई जायेगी यदि आंधी अथवा किसी प्राकृतिक आपदा से किसी वृक्ष की डाल टूटकर गिरती है अथवा किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी सूचना फर्म द्वारा तत्काल पी.के.राय,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उद्यान अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखित रूप में दी जायेगी। जो उसे उठाने का प्रबन्ध संस्थान की ओर से करेगें उस पर बागों की फसल लेने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नही होगा।
6. बाग परिसर में वृक्षों तथ नये पौधारोपित वृक्षों की हर प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेका लेने वाले व्यक्ति की होगी तथा संस्थान द्वारा गोबर की खाद को वृक्षों के थलहों में डलवायेगा लेकिन उनकों गुडवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी ।
7. जो भी पेड लगाये गये है उनकी पूरी देख.रेख करनी होगी, कोई वृक्ष देखभाल के बाद भी मृत यासूख जाते हैं तो उसकी सूचना तत्काल संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित रूप में दी जायेगी, जिससे उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके उसका सही कारण सुनिश्चित किया जा सकें और यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगाया जा सके, जिस पर निर्णय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
8. फसल की देखरेख की जिम्मेदारी उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव सहित बागों को लेने वाले व्यक्ति (ठेकेदार)की होगी । किसी किस्म के नुक्सान के लिए संस्थान जिम्मेदार नही होगा और न कोई क्षतिपूर्ति करेगा एवं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली फसल की क्षति की पूर्ति संस्थान की जिम्मेदार नही होगी।
9. नीलामी/टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के अन्दर बाग लेने वाले पक्षों द्वारा रु0 100/. मात्र के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र एग्रीमेन्ट करना होगा। स्टाम्प आदि का व्यय नीलाम/टेण्डर लेने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा। तथा 15 दिन के अन्दर पूरा नीलामी फसल का भुगतान संस्थान को करना होगा।
10. यह फसल नये टाईप 5 मकान तथा मन्दिर के पीछे व उमंग, उत्सव के पीछे स्थित बाग के लिए होगी। संस्थान द्वारा चिन्हित किये गये बागों के अलावा संस्थान के अन्य किसी भी स्थान से कोई भी फलों को तोड़ने की इजाजत नहीं होगी।

11. यदि नीलाम/टेण्डर में संस्थान द्वारा रखी गई रु0 15,000/-की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा नहीं पाई जाती तो उसका फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
12. यदि किसी कारणवश अधिकतम धनराशि देने वाली फर्म या व्यक्ति बागों की फसल लेने को इच्छुक नहीं होता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि दूसरे न्यनतम फर्म/व्यक्ति के पक्ष में नीलामी कर दी जायेगी यदि दूसरी न्यूनतम फर्म /व्यक्ति भी फसल लेने की इच्छुक नही होगी तो पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी जायेगी।
13. बागों की रखवाली के लिए जो श्रमिक रखे जायेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।
14. विवाद की स्थिति में निदेशक, आई.आई.एम लखनऊ का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. संस्थान में नीलामी की जाने वाली आम की फसल दोनों बागों में लगभग 500 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के होगें।

फसल टेण्डर का प्रारूप-2020–21

फर्म/व्यक्ति का नाम,पूरा पता एवं दूरभाष नम्बर एवं संलग्न डी.डी का विवरण	बागों की फसल की धनराशि
हस्ताक्षर:	दिनांक: स्थान: